राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट--III)/2018/1528 दिनांक : 25/8/18

"काउंसलिंग विज्ञप्ति"

"जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2018–19 की राजकीय/निजी प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रथम ऑनलाईन काउंसलिंग"

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जीएनएम प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2018–19 की राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स, जिनकी सूची मय निर्धारित सीटों के विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध है, में प्रवेश हेतु प्रथम ऑनलाईन काउंसलिंग जो दिनांक 04.09.2018 को निर्धारित है। दिनांक 25.08.2018 से 31.08.2018 तक योग्य अभ्यर्थी अपना विकल्प पत्र विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध राजकीय/निजी प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची अनुसार अधिक से अधिक प्रशिक्षण केन्द्रों को वरीयता देकर भरे।

विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थीयों को प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित करने हेतु की जाने वाली ऑनलाईन काउंसलिंग के लिए विभागीय वैबसाईट **www.rajswasthya.nic.in** पर उपलब्ध राजकीय/निजी प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु कमशः रूपये 180/– एवं रूपयें 10,000/– अग्रिम फीस पेटे ई मित्र/सीएससी नेटवर्क एवं शुल्क पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से तथा बैंक ऑफ बडौदा के चालान का प्रारूप डाउनलोड कर बैक के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य है।

माध्यम	राजकीय नर्सिंग स्कूल	निजी नर्सिंग स्कूल
ई मित्र	180/–	10,000/–
पेमेन्ट गेटवे	180/–	10,000/–
बैंक ऑफ बडौदा	–	10,000/–

प्रशिक्षण केन्द्रों के आंवटन हेतु राज्य स्तरीय ऑनलाईन काउंसलिंग से अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्र का आंवटन किया जावेगा। अभ्यार्थियों का वर्गवार कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है :–

	Gen	OBC	MBC	SC	SC-TSP	ST	ST-TSP	Saharia	In Service	PH
Female(PCB)	40%	40%	40%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Male(PCB)	40%	40%	40%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Female(Other)	40%	40%	40%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Male(Other)	40%	40%	40%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%

नोट : अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार ही केन्द्र आवंटन किया जावेगा। केन्द्र आवंटन के पश्चात् प्रशिक्षण केन्द्र स्थानान्तरण नही होगा एवं प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति प्रस्तुत नही करने की स्थिति में आप द्वारा जमा की गयी फीस पेटे जमा अग्रिम राशि 180/-- एवं 10,000/– वापस देय नही होगी। उक्त राशि राजकोष में जब्त कर ली जावेगी।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर